डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 520/2025

राजकुमार पुत्र श्री मोहनलाल जाति अरोड़ा निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

–वादी

बनाम्

1. बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री चेतन सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. संजय कुमार पुत्र श्री हरिराम जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 9 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. सत्यनारायण पुत्र श्री हरिराम जाति नायक निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

–प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट

प्रतिवादी सं. 2 की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड एडवोकेट

प्रतिवादी सं. 4 की ओर से :- श्री एस.के. हिसारिया, एडवोकेट

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **जय कौशिक**(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री गुरमीत सिंह कलसी** वकील वादी मिन जामिन मुदई तथा **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 2 मिन जानिब तथा **श्री एस.के. हिसारिया** वकील प्रतिवादी सं. 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी तथा जवाब दावा मय काउंटर क्लेम प्रतिवादी सं. 2 व 4 डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादी का खाता दावा की दफा 3 के मुताबिक अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अमलदरामद किया जाकर रकमराज अलग अलग कायम की जावे तथा प्रतिवादी सं. 2 तथा 4 का खाता जवाब दावा मय काउंटर क्लेम की दफा 7 के मुताबिक अलग अलग कायम किया

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जाकर रकमराज अलग कायम की जावे तथा चक 4 ए.एम.पी. खाता सं. 36/162 में प्रतिवादी सं. 1 बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री चेतन सिंह के नाम दर्ज आराजी मुताबिक बैयनामा दिनांक 14.05.2024 प्रतिवादी सं. 4 सत्यनारायण पुत्र श्री हरिराम के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से प्रतिवादी सं.1 का नाम कलमजन किया जावे। दावा की दफा 3 तथा जवाब दावा मय काउंटर क्लेम की दफा 7 निम्न प्रकार से है तथा इसी मुताबिक वादी तथा प्रतिवादी सं. 2 व 4 का खाता अलग अलग कायम किया जावेः-

(क) वादी राजकुमार पुत्र श्री मोहनलाल का हिस्साः-

चक 4 ए.एम.पी. के खाता सं. 36/162

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
180/143	45	22/3/0.0086 है., 23/2/0.0237 है., 24/2/0.0471 है.,
		कुल 0.0794 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 2 संजय कुमार पुत्र श्री हरिराम का हिस्साः-

चक 4 ए.एम.पी. के खाता सं. 36/162

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
180/143	45	22/5/0.0085 है.,(किला की दक्षिण दिशा में)
		कुल 0.0085 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 4 सत्यनारायण पुत्र श्री हरिराम का हिस्साः-

चक 4 ए.एम.पी. के खाता सं. 36/162

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
180/143	45	22/5/0.0085है.(संजय कुमार के साथ चिपती हुई)
		कुल 0.0085 है आराजी

निज ....X........ निल ....X........ मुब्लिक ....X............निल ....X....... बाबत् .....X.........निल.......X........ खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ......X...........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 16.2.2026 को जारी किया जाता है।

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया